173

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा, (म.प्र.)

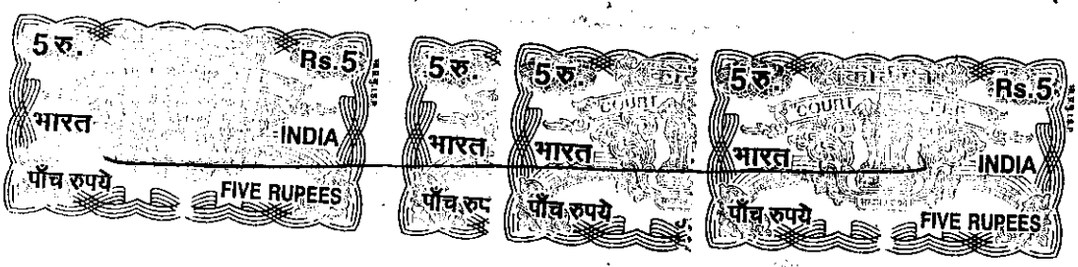

5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

Rs. 90/-

R 5187-II/16

1. रामरक्षा, तनय स्वर्गीय बच्चाराम पाण्डेय,
2. रामानुज, तनय स्वर्गीय बच्चाराम पाण्डेय,
3. रामलल्लू तनय स्वर्गीय बच्चाराम पाण्डेय,
4. रामललन तनय स्वर्गीय बच्चाराम पाण्डेय,

सभी निवासीगण ग्राम अमिलवान, तहसील व जिला सिंगरौली (म.प्र.)

.... आवेदकगण/निगरानीकर्तागण

बनाम

1. मध्यप्रदेश शासन,
2. रामरती बेवा शेषमणि ब्रा. निवासी ग्राम चूरी सानी, तहसील व जिला सिंगरौली, (म.प्र.)

.... अनावेदकगण/गैर निगराकार

श्री आर.के. देव पाण्डेय द्वारा आज दिनांक 20-4-16 को प्रस्तुत किया गया

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, रीवा संभाग, रीवा (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक 1038/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 03.02.2016

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 03.02.2016 विधि, प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण निगरानी योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5187–दो/16 जिला–सिंगरौली

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 के0 देव पाण्डेय उपस्थित होकर यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 1038/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 3.2.16 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि अनावेदिका रामरती बेवा शेषमणि ब्राहम्ण ग्राम चूरी सानी तहसील व जिला सिंगरौली को उक्त स्वत्व बन्दोबस्त के समय ही हिस्सा बांट में प्रापत हुआ था इस तरह अतिरिक्त तहसीलदार सिंगरौली के प्रतिवेदन दिनांक 25.3.2008 से स्पष्ट है कि आवेदक को पुराने स्वत्व की तुलना में नवीन बन्दोबस्त में 0.02 है0 रकवा की वृद्वि की गई हे। प्रकरण में पूर्व में राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 02.12.1997 त्रुटिपूर्ण था मौके की स्थिति अनुसार प्लाट सुधार की आवश्यकता नहीं	

है। आवेदक की ओर से प्रकरण में ऐसे कोई आधार स्पष्ट नही किये गये जिससे अतिरिक्त तहसीलदार के प्रतिवेदन को अंविश्वसनीय माना जा सके, इन्हीं तथ्यों के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और उसी के आधार पर अपर आयुक्त रीवा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली का आदेश स्थिर रखा गया है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1038/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 3.2.16 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य